उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-9/2018/540/30-3-18-42एम/2014

लखनऊ, दिनॉक 15 फरवरी, 2018

संशोधन/शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति के सचिवालय के रूप में परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के गठन हेतु अस्थायी रूप से सृजित किये गये पदों की निरन्तरता दिनांक 01-03-2017 से 28-02-2018 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी आदेश संख्या-01/2018/5331/30-3-17-42एम/2014 दिनांक 10-01-2018 निर्गत किया गया है, जिसके पृष्ठांकन में मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ का उल्लेख नहीं किया गया है।

2- अत: सहायक परिवहन आयुक्त (स0सु0/प्र0नि0) उ0प्र0 के पत्र दिनांक 13-01-2018 के प्रस्तावानुक्रम में शासनादेश संख्या-01/2018/5331/30-3-17-42एम/2014 दिनांक 10-01-2018 के पृष्ठ संख्या-2 के पृष्ठांकन में मुख्य कोषाधिकारी, जवाहन भवन, लखनऊ को क्रम संख्या-8 पर पृष्ठांकित किया जाता है।

ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-9 /2018/540(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
4- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-9
5- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0, सचिवालय, लखनऊ।
6- कार्मिक अनुभाग-1
7- कार्मिक नियमावली सेल।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
9- गार्ड फाइल।

ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।